तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सरकार बनाम यशपाल आदि** किस्म मुकदमा:— धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए रिमाण्ड प्रकरण नं. मुकदमा 47 /2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.10.2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । बहस पूर्व मे सुनी गई प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है की उप तहसीलदार महाजन लूनकरनसर से ग्राम चक भंवरिया पटवार हल्का अर्जनसर स्टेशन के मुरबा / खसरा नम्बर 64,51,52,53,49,55,54 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार महाजन सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार उप तहसीलदार महाजन के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गए मुताबिक प्रस्ताव उक्त रास्ता हेतु प्रभावित काश्तकार/पक्षकार निम्नानुसार हैं–

क्र. स	मु. नम्बर /ख. न.	रकबा है0 में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है।	नाम खातेदार
1	64	9.94	बा2	0.3659	अराजीराज
2	51	4.34	बा2	0.0500	यशपाल पुत्र छोटुराम हि0 1/4 सतपाल पुत्र छोटुराम हि0 1/4 जाति बिश्नोई साकिन गंगवा खातेदार लाभसिंह पुत्र करनैल सिंह हि0 1/2 जाति जटसिख साकिन पैरा तहसील व जिला मानसा खातेदार
3	52	6.26	बा2	0.900	रेणूदेवी पत्नि माणकचंद हिस्सा पूर्ण जाति शर्मा साकिन बीकानेर।
4	53	11.38	बा2	0.1750	दयाराम पुत्र कृष्णलाल हि0 1/3 रामकुमार पुत्र कृष्णलाल हि0 1/3 रामीदेवी पत्नि कृष्णलाल हि0 1/3 जाति जाट साकिन रतनीसर खातेदार
5	49	5.82	बा2	0.1500	आसीदेवी पत्नि श्रवणराम हि0 पूर्ण जाति जाट साकिन रतनीसर खातेदार
6	55	02.36	बा2	0.0800	नत्थुराम पुत्र दौलतराम हि0 1/2 जाति जाट साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ खातेदार बलवंतसिंह पुत्र दौलतराम हि01/2 जाति जाट साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ खातेदार
7	54	7.41	बा2	0.02	देवीलाल पुत्र श्योकरण हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण साकिन रतनीसर खातेदार

अतः मुताबिक अनुशंषा तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिया गया। तत्पश्चात् प्रभावित काश्तकार संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त प्रकरण मे माननीय न्यायालयं संभागीय आयुक्त बीकानेर मे अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आंशिक अपील स्वीकार करते हुए पुनः पक्षकारो को सुनकर निर्णय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया । माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर निर्णय की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज कर सम्बन्धित पक्षकारो को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण मे अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता धनपतराय गौड़ उपस्थित पूर्व मे जवाब पेश शामिल मिसल है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लालचन्द जाट उपस्थित । प्रकरण मे प्रभावित अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा पूर्व मे उपस्थित होकर एक रास्ता का अंकन करने हेतु सहमति दी गई जो शामिल मिसल है। अन्य पक्षकार बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। अतः प्राप्त रास्ता प्रस्ताव मे बहस सुनी गई । प्रार्थी वकील द्वारा जरिये बहस निवेदन किया गया की मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार से स्पष्ट है की उक्त रास्ता पहले से चल रहा था अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के खाते मे रास्ते का अंकन किया जा चुका है वर्तमान मे रास्ता चल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शेष दो प्रभावित काश्तकारो के खाते मे भी रास्ता का अंकन के आदेश फरमावे जावे ताकि वर्षों से चालु रास्ता पर को पक्का किया जाकर सुगम पंहुच मार्ग से सभी पक्षकारो की सुविधा का लाभ मिल सके। इसका विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 वकील द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया गया की प्रार्थी खसरा नम्बर 53 व 49 मे जो रास्ता पूर्व मे चल रहा था को छोड़ते हुवे नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो कतई स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खेत मे कोई कटानी रास्ता स्वीकृत नहीं है भाईचारा से रास्ता चल रहा है जो 40–50 वर्षो से चालू है यदि श्रीमान द्वारा मौका पर चल रहे रास्ता को रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे तो कोई एतराज नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण के खेत मे नया रास्ता काट दिया जाता है तो खेत दो भागो मे बांट दिया जाएगा । इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। उक्त रास्ता के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण को हल्का पटवारी एवं उप तहसीलदार द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है। वर्तमान मे चल रहे रास्ता को रिकॉर्ड जमा दिया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

हमने बहस का मनन किया उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत रिकॉर्ड तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांती अवलोकन किया गया। पूर्व मे माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है। शेष पक्षकारो द्वारा उक्त चालु रास्ता के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का विरोद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो के अवलोकन पश्चात् यह स्पष्ट है की प्रकरण मे वर्तमान चालु रास्ता का अंकन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर रास्ता का अंकन हेतु आदेश दिए गए है। जो सही प्रतीत होते है। अतः पूर्व आदेश यथावत रखते हुवे प्राप्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं उप तहसीलदार महाजन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार लूनकरनसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर